11/27/2007-डीजीएडी

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

पाटनरोधी एवं संबद्ध महानिदेशालय

......

दिनांक 25 मई, 2011

व्यापार नोटिस सं. 1/2011

1. वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 7 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. व्यापार नोटिस सं. 1/2009, दिनांक 25 मार्च, 2009 के पैरा 2 के उप - पैरा (viii) के क्रम में एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सार्वजनिक सुनवाई में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है तो उसकी एक प्रति सुनवाई से पूर्व (एक दिन) सभी प्रतिभागियों को प्रदान की जाए। तथापि, यदि कोई हितबद्ध पक्षकार गोपनीय आधार पर कुछ सूचना प्रस्तुत/ पेश करना चाहता है तो उसकी एक प्रति व उसका अगोपनीय पाठ (एनसीवी) निर्दिष्ट प्राधिकारी को सार्वजनिक सुनवाई की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि अगोपनीय पाठ में गोपनीय पाठ का सार्थक सार दिया गया है।

3. यदि उपरोक्त अपेक्षा की पूर्ति नहीं की जाती है तो हितबद्ध पक्षकार को गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत/पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(भारती एस. सिहाग)
संयुक्त सचिव
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी

सेवा में

सभी संबंधित